संख्या-22/2026/।/1237583/2026/71-2099/187/2022

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक- 12-02-2026

विषयः-प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/राजकीय/स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय/ निजी मेडिकल कालेजों में गृह विभाग की शर्तों के अधीन शव-विच्छेदन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र में स्थापित मेडिकल कालेजों को गृह विभाग की शर्तो के अधीन शव-विच्छेदन की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-4772/71-2-2015-1/2009, दिनांक 28 दिसम्बर 2015 द्वारा पूर्व में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- प्रदेश के कुछ राजकीय मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में परिवर्तन कतिपय संयुक्त चिकित्सालयों के स्वायत्तशासी संस्थानों में विलय तथा केंद्र सहायतित योजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत जिला चिकित्सालयों के मेडिकल कॉलेजों के रूप में उच्चीकरण को दृष्टिगत रखते हुए, प्रासंगिक शासनादेशों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिमार्जित कर नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत (Guidelines) जारी किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश को अद्यतन किया जाना आवश्यक पाया गया है।

3- अतः प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/राजकीय एवं स्वायत्तशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर फोरेन्सिक पाठ्यक्रमों के सुगम संचालन एवं उत्कृष्ट शैक्षिक गुणवत्ता हेतु उन्हें शव-विच्छेदन की प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुक्रम में निम्नवत् शर्तों के अधीन अनुमन्य कराया जा रहा है:-

1. प्रदेश में पोस्ट-मार्टम कार्य यथा आधुनिक शव-विच्छेदन गृहों में सम्पन्न कराने तथा फोरेन्सिक चिकित्सा-विज्ञान में पठन-पाठन के सुदृढीकरण हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालयों /चिकित्सा संस्थानों/राजकीय एवं स्वायत्तशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्मित शव-विच्छेदन गृहों के अलावा प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों (जहां मानकीकृत एवं गुणवत्ता पूर्ण शव-विच्छेदन गृह निर्मित हो) में पोस्ट-मार्टम के समय चिकित्सा शिक्षकों एवं रेजिडेन्टों से उक्त शासनादेश की शर्तों के अधीन शव-विच्छेदन की प्रक्रिया करायी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत निजी मेडिकल कालेजों को उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम-1956 के प्राविधानों के अनुरूप मात्र लावारिस शव उपलब्ध कराये जायेगें। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों/राजकीय एवं स्वायत्तशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों एवं रेजिडेन्टों द्वारा सभी तरह के शव परीक्षण किया जा सकेगा।
3. उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अन्य चिकित्सा विश्वविद्यालय जिसमें KGMU LUCKNOW, RMLIMS LUCKNOW, SGPGI LUCKNOW, UPUMS SAIFAI ETAWAH इत्यादि जहाँ पर फोरेंसिक मेडिसिन विभाग है वहां भी शव-विच्छेदन का कार्य उनके द्वारा किया जाये।
4. केंद्र सरकार के अधीन अन्य चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय जो की उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसमें BHU VARANASI, AMU ALIGARH, AIIMS GORAKHPUR एवं AIIMS RAEBAREILLY इत्यादि जहाँ पर फोरेंसिक मेडिसिन विभाग है वहां भी शव-विच्छेदन का कार्य उनके द्वारा कराया जा सकेगा।
5. राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों में पोस्टमार्टम कराये जाने की दशा में सम्बन्धित कालेजों के फोरेन्सिक चिकित्सा विभाग के शिक्षक एवं छात्र पोस्टमार्टम के दौरान उपस्थित रह सकते है जब सरकारी चिकित्सकों द्वारा शव-विच्छेदन किया जा रहा हो। यह व्यवस्था पोस्ट-मार्टम किये जाने की संख्या एवं विभागीय जनशक्ति पर निर्भर होगी।
6. पोस्ट-मार्टम का समस्त कार्य पूर्व की भांति यू0पी0 मेडिकल मैनुअल के अध्याय-15 में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। परन्तु ऐसे मेडिकल कालेज, जहां फारेन्सिक मेडिसिन विभाग में नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक उपलब्ध हो में इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पन्न पोस्ट-मार्टम की जिम्मेदारी सम्बन्धित नियमित नियुक्ति के फोरेन्सिक चिकित्सा शिक्षक को दी जायेगी तथा उनके द्वारा यह कार्य यू0पी0 मेडिकल मैनुअल के अध्याय-15 में प्रतिपादित अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त/प्रक्रिया एवं सुसंगत शासनादेशों के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। संबंधित न्यायालय में साक्ष्य आदि में भी उन्हीं का दायित्व निर्धारित किया जाये।
7. इस व्यवस्था के अन्तर्गत कराये जाने वाले पोस्ट-मार्टम के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभिन्न न्यायालयों आयोगों जैसे कि एन0एच0आर0सी0/समय-समय पर निर्गत गाईडलाइन्स/SOP's/डी0एन0ए0/विसरा परीक्षण संबंधी प्रदर्शो के परीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश इत्यादि के अन्तर्गत ही समस्त प्रक्रिया अपनायी जायेगी ताकि स्थापित मानकों से कोई विचलन न हो।
8. जिन जनपदों में चिकित्सा विश्वविद्यालयों/राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों में पोस्ट-मार्टम हाउस उपलब्ध हैं, वहाँ पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित कर दी जाए, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधीक्षक, मेडिकल कालेज के कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा नामित चिकित्सक सदस्य हों। मेडिकल कालेज की क्षमता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए थानों का आवंटन स्थायी तौर पर उक्त समिति द्वारा कर दिया जायेगा जिससे उन थानों से सभी शवों को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों को बिना किसी भ्रम (कन्फ्यूजन) के सीधे भेजा जा सके।

9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पोस्ट-मार्टम कराया जाना हो अथवा जघन्य अपराध हो, ऐसे प्रकरण निजी मेडिकल कालेजों को संदर्भित नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों में फारेन्सिक मेडिसिन विभाग में नियुक्त नियमित फैकल्टी उपलब्ध होने की दशा में ऐसे फोरेन्सिक चिकित्सा शिक्षक विशेषज्ञों को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा, चाहें वह पोस्ट-मार्टम उस जनपद में हो रहा हो अथवा किसी अन्य जनपद के बोर्ड में उसे नामित करना पड़ें।
10. डिस्ट्रिक्ट मेडीकोलीगल एक्सपर्ट जिस-जिस जनपद में उपलब्ध हो उन जनपदों में उनको मेडिकल बोर्ड अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
11. इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पन्न पोस्टमार्टम की रिपोर्टिंग एवं रिकार्डिंग की जिम्मेदारी पूर्व की भांति संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी की ही होगी। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों/निजी चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त नियमित फैकल्टी द्वारा सम्पादित किये गये पोस्ट-मार्टम से सम्बन्धित समस्त रिपोर्टिंग व रिकार्डिंग की जिम्मेदारी फारेन्सिक विभाग के विभागाध्यक्ष की होगी।
12. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों/निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा शव-विच्छेदन गृहों का निर्माण एवं-उपकरणों की व्यवस्था, राष्ट्रीय मेडिकल काउन्सिल (NMC) के मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकीकरण के अनुसार की जानी होगी।
13. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों/निजी चिकित्सा संस्थानों में निर्मित शव-विच्छेदन गृहों की गुणवत्ता एवं-मानक सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति निरीक्षणोपरान्त सम्बन्धित निजी मेडिकल कालेज को पोस्ट-मार्टम कार्य प्रारम्भ करने हेतु शासन को संस्तुति उपलब्ध करायेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। उक्त समिति के सदस्य के रूप में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों में कार्यरत फोरेन्सिक मेडिसिन के एक आचार्य, सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, निदेशक, केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि रहेंगे। समिति द्वारा एन0एम0सी0 के मानक एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा समय-समय पर निर्गत संस्तुतियों के आधार पर शव-विच्छेन गृह का निरीक्षण किया जाएगा।

4- अत: इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त बिन्दुओं में सम्मिलित व्यवस्थानुसार प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/राजकीय एवं स्वायत्तशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी मेडिकल कालेजों में फोरेन्सिक पाठ्यक्रमों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुगम संचालन एवं उत्कृष्ट शैक्षिक गुणवत्ता हेतु उन्हें शव-विच्छेदन की प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने हेतु तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-22/2026/I/1237583/2026/71-2099/187/2022 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा।
7. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ/आर0एम0एल0आई0एम0एस0, लखनऊ।
8. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोयडा/बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान नोयडा।
9. निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैन्सर संस्थान, लखनऊ।
10. समस्त राजकीय/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, जे0के0 कैन्सर संस्थान, कानपुर/निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
12. निदेशक, केन्दीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
13. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।